

## हड़ताल के प्रभाव (Effects of Strikes)

जब भी कोई औद्योगिक विवाद होता है और उसके फलस्वरूप हड़ताल होती है तो उसके कुछ परिणाम होते हैं। प्रत्येक हड़ताल की दो स्थितियाँ होती हैं। प्रथम या तो हड़ताल समाप्त होगी या द्वितीय हड़ताल विफल होगी। द्वितीय की स्थिति में हड़ताल के कुछ परिणाम होते हैं। यदि हड़ताल समाप्त होती है तो श्रमिकों की माँग की पूर्ति होती है और यदि हड़ताल विफल होती है तो श्रमिकों को न केवल आर्थिक क्षति होती है अपितु उन्हें घातनाश भी सहनी पड़ती है। वस्तुतः हड़ताल एक दो-धारी तलवार है। एक ओर तो श्रमिकों द्वारा हड़ताल रूपी हथियार का प्रयोग नियोजकों को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए किया जाता है तो दूसरी ओर स्वयं श्रमिक भी नुकसान में पड़ जाते हैं। इसके साथ ही दूसरी तरह उपभोक्तागण एवं साधारण जनता को भी काफी हानी उठानी पड़ती है, जिससे फलस्वरूप देश की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था असंतुलित हो जाती है। हड़ताल के फलस्वरूप उत्पादन में कमी होती है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है, राष्ट्रीय वित्त में कमी आती है। पूँजीवादी देशों में हड़ताल के प्रति सरकार की नीति में विभिन्नताएँ पायी जाती हैं। कुछ देशों में हड़ताल पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं लगे होते। कुछ देशों में केवल सार्वजनिक महत्व की उद्योगों और सेनाओं में ही हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगे होते हैं। कई देशों जैसे भारत में हड़ताल पर व्यापक प्रतिबन्ध लगे होते हैं। हड़ताल पर

की विविध प्रतिबन्ध इस बात के धीमे हैं कि हड़तालें सर्वांगिक हितों के विकास में अवरोधक हैं। हड़तालों का, हड़ताल पर जाने वाले श्रमिकों एवं नियोजकों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः, हड़ताल के दुष्परिणामों का ही उल्लेख किया जाता है, लेकिन गहराई पर जाने से हमें कुछ लाभ भी दृष्टिगोचर होते हैं। हड़ताल के मुख्य प्रभावों की संक्षिप्त विवेचना नीचे की जाती है—

### श्रमिकों पर प्रभाव (Effects on workers)-

हड़ताल का प्रत्यक्ष प्रभाव श्रमिक के आर्थिक जीवन पर पड़ता है। श्रमिकों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त ही दयनीय हो जाती है। श्रमिकों के भ्रष्ट के सभी श्रोत बन्द हो जाते हैं। इन्का ही नहीं अपितु हड़ताल को बनाये रखने के लिये श्रमिक संघों पर अतिरिक्त व्यय का बोझ बढ़ जाता है। इस व्यय की अमूर्ति श्रमिकों को चन्दा देकर करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के सहायता कार्य, प्रचार कार्य, कानूनी सहायता इत्यादि शर्तों के लिए रुपये की आवश्यकता होती है। अत्यधिक खर्च के कारण श्रमिक संघ का कौच बिल्कुल खाली हो जाता है, हड़ताल समाप्त के बाद भी श्रमिक संघों को जीवित रखने के लिए श्रमिकों को अतिरिक्त चन्दा देकर संघ के कौच को सुदृढ़ करना पड़ता है जो उनके ऊपर एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ होता है। हड़ताल की अवस्था में श्रमिकों को भण्डारी नहीं मिलती है। यदि हड़ताल दौनों पक्षों के समझौते द्वारा समाप्त होती है तो हड़ताल अवधि की अनुपस्थितियों को यदि अवकाश में समाधीन किया जाता है और उसके बाद भण्डारी का भुगतान किया जाता है तो श्रमिकों को अवकाश का भुक्तान होता है। हड़ताल का प्रभाव श्रमिक के आर्थिक जीवन पर ही केवल नहीं पड़ता है।

श्रीमिक एवं उनके परिवार का सदस्यों को मजदूरी की क्षति से पौष्टिक एवं स्वास्थ्यकर भोजन नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की बीमारी का विकास भी बनना पड़ता है। फलस्वरूप अतिरिक्त व्यय का बोझ अधिक पर पड़ता है।  
 हड़ताल श्रीमिकों को किस प्रकार प्रभावित करती है, उसे हम निम्न रूप से दे वता सकते हैं —

- (1) प्रतिकूल प्रभाव
- (2) अनुकूल प्रभाव

1. प्रतिकूल प्रभाव (Adverse Effects)

- (i) हड़ताल की अवधि में श्रीमिकों को मजदूरी या अन्य नकद भत्ते नहीं मिलते। जब हड़ताल एक लम्बी अवधि तक चलती है तो श्रीमिक एवं उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- (ii) श्रीमिकों को हड़ताल कौष के लिए विद्वेष चन्द्रा भी देना पड़ता है। साथ ही उन्हें हड़ताल के समय आजीवन प्रदर्शन, धरना आदि में सम्मिलित क्षेत्र के लिए अपने पास से स्वर्ण भी करना पड़ता है। इस तरह, एक ओर तो उन्हें हड़ताल की अवधि में मजदूरी नहीं मिलती, दूसरी ओर उन्हें अतिरिक्त व्यय को भी वहन करना पड़ता है।
- (iii) कई देशों में हड़ताल पर कामूनी प्रतिबन्ध लगे होते हैं। अर्थात् हड़ताल में भाग लेने पर श्रीमिकों को न जुर्माने या कारावास से दण्डित भी किया जाता है। इसी तरह, हड़ताल के समय किये जाने वाले प्रदर्शन, धरना आदि में भाग लेने पर श्रीमिकों को कारावास तथा जुर्माने का दण्ड भी दिया जा सकता है।
- (iv) अर्थात् हड़ताल पर जाने के लिए श्रीमिकों पर अनुशासन

सम्बन्धी कार्यवाहियां भी हो जा सकती हैं। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब हड़ताल पर जाने के कारण श्रमिकों को मृदाभिल भी किया जाता है। इसी तरह अर्द्ध हड़ताल में भाग लेने से श्रमिकों की प्रीविलेज भी रक सकती है। कुछ देशों में तो नियोजकों को हड़ताल पर जाने वाले श्रमिकों की नौकरी समाप्त करने तथा उनकी जागत-ए श्रमिकों की भती करने की स्वतन्त्रता होती है।

- (v) ऐसा भी होता है कि किसी उद्योग या प्रतिष्ठान में जब एक श्रमिक संघ हड़ताल का आह्वान करता है तो दूसरे श्रमिक संघ उसका विरोध करते हैं और अपने सदस्यों को काम करते रहने का आदेश देते हैं। इस तरह हड़ताल के कारण श्रमिकों के बीच कटुता एवं द्वेष-भाव में वृद्धि हो सकती है।
- (vi) हड़ताल के समय श्रमिकों के मानसिक तनाव बढ़ जाते हैं। साथ ही उनका पारिवारिक जीवन अस-व्यस्त हो जाता है।
- (vii) हड़ताल के कारण श्रमिक मजदुरों के अतिरिक्त अन्य आर्थिक लाभों, तथा सुविधाओं से वंचित किए जा सकते हैं।
- (viii) शारीरिक मकत्व के उद्योगों या सेवाओं जैसे रेलवे, विद्युत संस्थान, डाकघर आदि में हड़ताल होने से श्रमिकों को शेष-पूर्ण जनमत का सामना करना पड़ सकता है।

## (2) अनुकूल प्रभाव (Favourable Effects) -

- (i) जब हड़ताल के फलस्वरूप श्रमिकों की मांगों संतोषजनक ढंग से पूरी होती है, तो हड़ताल से उसका कठिनाइयों के वातपूरुद, श्रमिक लाभान्वित होते हैं। वास्तव में, श्रमिक हड़ताल के दुष्परिणामों से बची-भांति बचता रहते हैं, लेकिन उन्हें आशा बनी रहती है कि हड़ताल के माध्यम से ही वे अपनी

### अनुकूल प्रभाव (Favourable Effects)-

- (i) जब हड़ताल विफल होती है, तब नियोजक का पलड़ा भारी हो जाता है और वह श्रमिकों पर हावी होने में सफल हो जाता है। हड़ताल की विफलता से क्रमिक संघ कमजोर हो जाते हैं और नियोजक उसका पूरा लाभ उठाते हैं।
- (ii) हड़ताल के विफल होने से नियोजक श्रमिकों को भोजन पूरी छत्ते से बच जाते हैं। इस कारण उन्हें संभावित आर्थिक भार से मुक्ति मिल जाती है।
- (iii) हड़ताल की अवधि में नियोजक श्रमिकों को मजदूरी तथा अन्य भत्ते देने से बच जाते हैं।
- (iv) कभी-कभी नियोजकों के पास उत्पादित वस्तुएँ बड़ी मात्रा में संचित हो जाती हैं। हड़ताल के कारण उत्पादन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और संचित माल भी बिक जाता है।
- (v) हड़ताल के कारण मूल की कमी हो जाती है और नियोजक उसे उचित कीमत पर बेच सकते हैं।
- (vi) हड़ताल के कारण यंत्रों एवं मशीनों से काम नहीं लिया जाता, जिससे उनका अपभ्रंश (depreciation) नहीं होता।

### समुदाय एवं राज्य पर प्रभाव (Effects on Community and State)

हड़ताल से केवल श्रमिक या नियोजक ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि उसका समुदाय तथा राज्य पर भी प्रत्यक्ष या परीक्ष प्रभाव पड़ता है। हड़ताल के प्रभाव राष्ट्रीय उद्योग की वृद्धि, जन-समुदाय के जीवन स्तर, रोजगार, उपभोग, आर्थिक विकास, तथा जनसंख्या की उपलब्धता मुख्य-मुख्य-सुविधाओं पर पड़ते हैं।

सौंगी पूरी करा सकेंगी। अनुभव बताता है कि कई कई उद्योगों, सेवाओं एवं प्रतिष्ठानों में हड़ताल पर जाने के बाद ही श्रमिक अधिक मजदूरी तथा कार्य एवं नियोजन की अच्छी शर्तें और दशाएँ प्राप्त करने में सफल हुए हैं। भारत में कई संघीय क्षेत्रों में श्रमिक और कर्मचारी हड़ताल का सहारा लेकर ही अपनी दशाओं में सुधार लाने में सफल हुए हैं। दूसरी ओर असंघीय क्षेत्रों के श्रमिकों को तब तक श्रमिक संघीय क्षेत्रों के श्रमिकों की तरह हड़ताल चलाने में सफल नहीं होते। इस कारण उनकी कार्य एवं नियोजन की दशाएँ भी अपेक्षाकृत निम्न होती हैं।

(ii) हड़ताल के सकल क्षेत्रों में श्रमिकों के बीच भाईचारे एवं एकता की भावना बढ़ती है तथा श्रमिक संघों के सदस्यों के बीच उनकी आस्था दृढ़ होती है। श्रमिकों के बीच एकता एवं भाईचारे की भावना के दृढ़ होने से श्रमिक संघों की प्रतिष्ठा और प्रभाव कारिता बढ़ती है। शक्तिशाली श्रमिक संघ अपने सदस्यों की समस्याओं के समाधान में अधिक सफल होते हैं।

(iii) कई संघवादियों की दृष्टि में हड़ताल कभी भी विफल नहीं होती। उनके मत में हड़ताल एक प्रभावशाली शक्ति है जिसका प्रयोग करते रहने से श्रमिकों की प्रतिष्ठा एवं शक्ति में वृद्धि होती है। हड़ताल के माध्यम से श्रमिक राजनीतिक स्तर भी प्राप्त करते हैं।

### नियोजकों पर प्रभाव (Effects on Employers)

#### 1. प्रतिकूल प्रभाव (Adverse Effects)

(i) अधिकतर स्थितियों में हड़ताल का नियोजकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हड़ताल के कारण उत्पादन के सारे कार्य ठप्प पड़ जाते हैं जिससे उद्योग की गहरी क्षति पहुँचती है। जब

हड़ताल लम्बी अवधि तक चली है तब नियोजकों को घाटे तथा वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी हड़ताल की अवधि में अनिवार्य कार्यों का संचालन भी कठिन होता है। हड़ताल के कारण उच्चो भाव की वर्धा होती है और साथ ही माघ यंत्रों और मशीनों के खराब होने का भय बना रहता है।

(ii) जब हड़ताल के फलस्वरूप श्रमिकों की मांगें पूरी करनी पड़ती हैं, तो नियोजकों पर आर्थिक भार बढ़ जाता है। ऐसा भी देखने में आता है कि कई नियोजक श्रमिकों की मांगें पूरी करने में पूरी तरह असमर्थ रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे अपने श्रेष्ठिकों में तालाबन्दी करने या उसे बन्द करने के लिये बाध्य हो जाते हैं। कभी-कभी किंसा पर उग्र श्रमिक तीव्र कौड़ के भी कार्य कर बैठते हैं जिससे नियोजक को भारी क्षति उठानी पड़ती है।

(iii) हड़ताल के कारण नियोजक उत्पादन से सम्बन्धित स्वामानों की आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों के साथ होने वाले सम्झौतों की तीव्रता के लिए बाध्य हो जाते हैं। इससे दोनों के बीच संबंध खराब हो जाता है।

(iv) एक हड़ताल में सफल होने पर श्रमिकों का हौसला बढ़ जाता है। वे नियोजकों के सामने नित्य नई-नई मांगें पेश करने लगते हैं। इससे नियोजक के परामर्शकार संशुचित होते लगते हैं।

(v) हड़ताल की अवधि में नियोजक वपायार श्रमिकों की सहायता प्राप्त करते हैं तथा हड़ताल को तीव्रता का भी प्रयास करते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक भार तथा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

(vi) हड़ताल के समय नियोजकों की विज्ञापन, इधतकारों तथा सुरक्षा व्यवस्था पर आर्थिक व्यय भी करना पड़ सकता है।

का प्रयोग किया जाएगा तथा खंचित विस्फोटक के निकासी व निष्कासन के सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। प्रज्वलन (ignition) के सभी स्त्रोतों को प्रभावी आवरण (effective enclosures) में रखा जाएगा। राज्य सरकार को इन अपवर्धों में छूट देने का अधिकार है।

#### (19) आग लगने की दशा में सावधानियाँ (Precaution in case of fire)

प्रत्येक कारखाना में आग लगने से तथा इसके फैलने से बचने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये जाएंगे। इस हेतु निम्न कदम उठाये जाएंगे—

सभी व्यक्तियों को आग से बचाने हेतु सुरक्षित साधन मुहैया करना, आग से बचने हेतु आवश्यक उपकरण तथा अग्निशामक की व्यवस्था करना।

प्रत्येक कारखाना में सभी श्रमिकों को आग से बचाने के उपकरणों की समुचित जानकारी देने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाएंगे तथा आत्मरक्षण हेतु बच निकलने वाले मार्गों के बारे में समुचित प्रशिक्षण दिए जाएंगे।

राज्य सरकार इस संबंध में आवश्यक निगम बना सकती है।

#### (20) दोषयुक्त भाग या स्थायित्व की जाँच के सम्बन्ध में निर्देश (Specification of defective parts or test of stability)

यदि कारखाना निरीक्षक यह महसूस करता है कि कोई भवन या भवन का कोई भाग या रास्ते या रास्ते का



स्वामान्यता, हड़ताल का समुदाय या राज्य के आर्थिक एवं राजनीतिक क्रिया-कलापों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हड़ताल के फलस्वरूप समुदाय में होने वाली क्षीणता, हड़ताल की व्यापकता तथा उससे प्रभावित उद्योगों और सेवाओं की प्रकृति पर निर्भर करती है। कई हड़तालों ऐसी भी हैं, जहाँ जिनसे सारे राज्य या समुदाय के जिन अन्न-वस्त्र हुए हैं। यही कारण है कि कई देशों, विशेषकर विकासशील देशों में, हड़ताल पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगे होते हैं। हड़तालों की अधिकता एवं व्यापकता से देशों के में राष्ट्रीय आय की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और औद्योगिक विकास बाधित पड़ जाता है। हड़ताल से बेरोजगारी और मुद्रा-स्फीति को भी प्रोत्साहन मिलता है।

### जनता पर प्रभाव (Effects upon public)

हड़ताल का प्रभाव जनता पर भी पड़ता है। जब कभी भी नियोजिता एवं-श्रमिक अपने-अपने हित के लिए लड़ना शुरू करते हैं, तो सार्वजनिक हित को उल्लंघन किया जाता है। रेलवे, परिवहन, डाक-घर, विभाग, कौशल, लीक, विद्युत उद्योग इत्यादि में हड़ताल होने के फलस्वरूप सार्वजनिक जीवन सदा अन्न-वस्त्र और दयनीय हो जाती है। जब कभी हड़तालों उपभोक्ता उद्योग में होते हैं तो उनसे उपभोग की वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं तथा जीवन धापन लागत में वृद्धि होती है, जिसके कारण साधारण जनता को एक उपभोक्ता के रूप में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार आधुनिक समाज में हड़ताल का प्रभाव नियोजिता एवं-श्रमिकों के बीच सीमित नहीं रहता बल्कि सामान्य जनता को भी पूरी तरह प्रभावित करता है।